

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी- श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - तारीख दायर तारीख फैसला  
09/2018/प्रार्थना पत्र 02.01.2018 19.01.2018  
उनवान

- 1- रामदेव पिता देबीलाल बैरवा निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
  - 2- गीता पिता देबीलाल बैरवा नि० कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- राकेश पिता बन्ना बैरवा निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकला
- 2- धन्ना पिता सोला कहार निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 3- कृष्णगोपाल पिता मोहनलाल ब्राम्हण निवासी कनेछनकलां
- 4- विनोद पिता मोहनलाल ब्राम्हण निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 5- जगदीश पिता मोहनलाल ब्राम्हण निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 6- कैलाश पिता मोहनलाल ब्राम्हण निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 7- राधेश्याम पिता मोहनलाल ब्राम्हण निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 8- कैलाश पिता लादू खटीक निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 1047 आ०न० 5166 रकबा 1.00 है, आ०न० 6484/5166 रकबा 0.06 है०, आ०न० 5167 रकबा 0.48 है०, 5169/5986 रकबा 0.14 है०, आ०न० 5170 रकबा 0.70 है०, आ०न० 5171/6050 रकबा 0.14 है०, कुल किता 06 रकबा 2.52 है० स्थित है। पेरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1 व 8 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काशत करते समय व फसल काटते समय मौके पर

Jan

विवाद करते हैं। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 में वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः दिनांक 19.01.2018 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां संवत् 2072 से 75 खाता संख्या 1047 आ०न० 5166 रकबा 1.00 है, आ०न० 6484/5166 रकबा 0.06 है०, आ०न० 5167 रकबा 0.48 है०, 5169/5986 रकबा 0.14 है०, आ०न० 5170 रकबा 0.70 है०, आ०न० 5171/6050 रकबा 0.14 है०, कुल किता 06 रकबा 2.52 है० के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 1047 आ०न० 5166 रकबा 1.00 है, आ०न० 6484/5166 रकबा 0.06 है०, आ०न० 5167 रकबा 0.48 है०, 5169/5986 रकबा 0.14 है०, आ०न० 5170 रकबा 0.70 है०, आ०न० 5171/6050 रकबा 0.14 है०, कुल किता 06 रकबा 2.52 है० का प्रार्थीगण के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो

तो पक्षकारान की मौजूदगी में ऑफ सीजन में पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1000/- ( अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 19.01.2018 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।



*[Handwritten signature]*

(भंवरलाल कांसोटिया)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

*[Handwritten signature]*

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा